कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

दूरभाष एवं फेक्स:- (07562)224706 ई-मेल:-heggcseh@mp.gov.in

वेब.. :ggdcsehore/index.html

क्रमांक 1214/2022 दिनांक 24/12/2022

आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र 2022-23

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा अस्थायी रूप से अध्यापन व्यवस्था हेतु निम्न विषय में सत्र **2022-23** हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रित किये जाते है।

क्रमांक	विषय	पद	मानदेय राषि	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायेये
01	समाज शास्त्र	**01**	**600/-**प्रति कार्य दिवस	एम.ए. समाज शास्त्र /यू.जी.सी. मापदण्डानुसार

योग्यताएं संबंधी निर्देश एवं शर्ते:-

1. यह आमंत्रण आधारित शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई है यह व्यवस्था म.प्र. शासकीय सेवा का भाग नही है इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे एवं लोक-सेवक की विधि-विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवा नहीं माने जाएंगे। यह आमंत्रण अध्यापन की अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था है जो कि संबंधित विषय के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के आसंजन **(Attachment)**/माँतृत्व अवकाश/दीर्घकालीन अवकाश के कारण अथवा वर्कलोड के कारण है, जो कि कारण समाप्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगी।

2. यह विज्ञापन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए है न कि नियुक्ति के लिये। अकादमिक सत्र में आवष्यकतानुसार पैनल में से वरीयता क्रम से अतिथि विद्वान को आमंत्रित किया जाएगा।

3. अर्हता प्राप्त आवेदक महाविद्यालय की वेबसाइट www.ggcsehore.in पर दिनांक **30/12/2022** तक आनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों को स्केन करके पीडीएफ अपलोड करे।

4. आवश्यक अर्हताये/अधिभार म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित नवीनतम आदेषानुसार लागू होगी एवं आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतः मेरिट सूची अनुसार रहेगी। आमंत्रण हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण यू.जी.सी. एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो/मापदंड अनुसार होगा।

5. मानदेय राशि का निर्धारण जनभागीदारी समिति द्वारा किया जाएगा एवं इसमें परिवर्तन का पूर्ण अधिकार जनभागीदारी समिति को रहेगा।

6. आमंत्रित उम्मीदवारों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन संतोषजनक ना होने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के सचिव को रहेगा एवं निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

7. यह आमंत्रण व्यवस्था सत्र **2022-23** के अकादमिक कलेंडर तक के लिए ही मान्य होगी।

प्राचार्य एवं सचिव
जनभागीदारी समिति,
शा कन्या महाविद्यालय सीहोर